

Filling no. RCS-A/28/2018

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 04 ए/2018

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)**

(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

Filling no. RCS-A/28/2018

CNR no. MP30010001372018

सिविल वाद क्रमांक 04 ए/2018

संस्थित दिनांक :-06/01/2018

श्रीकृष्ण पुत्र भूप सिंह यादव, उम्र-60 वर्ष,
निवासी-ग्राम नावली वृन्दावन, तहसील-अटेर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....आवेदक/वादी

//बनाम//

1. जहान सिंह पुत्र जयश्रीराम यादव, उम्र-65 वर्ष,

2. मनोज पुत्र देव सिंह यादव, उम्र-35 वर्ष,

निवासी-ग्राम नावली वृन्दावन, तहसील अटेर,

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....असल अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

3. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

..... तरतीबी प्रतिवादी

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री नरेश सिंह राठौर।
प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा श्री अभिलाख सिंह भदौरिया अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 3 अनिर्वाहित।

//आदेश//

(आज दिनांक 12.05.2018 को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 1/18 और प्रतिवदावा के साथ प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 2/18 का निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

2. इस मामले में ग्राम नावली वृन्दावन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 837 क्षेत्र 0.606 हे0 और सर्वे क्रमांक 838 क्षेत्र 0.690 हे0 के बीच की सीमा व अतिक्रमण का विवाद है। यह स्वीकृत तथ्य है कि भूमि सर्वे क्रमांक 837 पर वादी का स्वत्व है और भूमि सर्वे क्रमांक 838 प्रतिवादी क्रमांक 1 के स्वत्व की है।

3. वादी का आवेदन संक्षेप में यह है कि भूमि सर्वे क्रमांक 837 क्षेत्र 0.606 हे0 पर वादी का स्वत्व व कब्जा है, सर्वे क्रमांक 837 व 838 की सीमायें अलग-अलग हैं और पूर्वजों के समय से मेड़ बनी हुई है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 मेड़ काटकर भूमि सर्वे क्रमांक 837 को अपने खेत सर्वे क्रमांक 838 में मिलाना चाहते हैं और वादी की

खड़ी फसल नष्ट कर सर्वे क्रमांक 837 में वादी के कब्जे में हस्तक्षेप हेतु प्रयासरत है। दिनांक 01.01.2018 को प्रतिवादीगण मेड़ काट रहे थे, वादी ने रोका तो झगड़ा करने लगे और गांव वाले के समक्ष दिनांक 04.01.2018 को समझाने पर भी नहीं माने। उक्त तथ्यों के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद संस्थित किया गया है, प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है और यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि सर्वे क्रमांक 837 के किसी भाग पर कब्जा किया गया या वादी के कब्जे में हस्तक्षेप किया गया तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाये कि वे सर्वे क्रमांक 837 के किसी भी भाग पर वादी के कब्जे में हस्तक्षेप न करें, फसल बर्बाद न करें और अपने खेत में न मिलायें।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का जबाब संक्षेप में यह है कि भूमि सर्वे क्रमांक 838 पर प्रतिवादीगण का स्वत्व व कब्जा है और वादी ने सीमा चिन्ह नष्ट कर उक्त सर्वे क्रमांक 838 की लगभग 18 बिस्वा भूमि अपने सर्वे नम्बर 837 में मिला लिया है। वादी ने स्वयं अतिक्रमण किया है, प्रथम दृष्ट्या मामला भी वादी के पक्ष में नहीं है और अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाये।

5. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने प्रतिदावा के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन भी प्रस्तुत किया है। आवेदन संक्षेप में यह है कि भूमि सर्वे क्रमांक 838 क्षेत्र 0.690 हे० पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का स्वत्व व कब्जा है और पूर्वजों के समय से ही वादी की भूमि सर्वे क्रमांक 837 व प्रतिवादी क्रमांक 1 की भूमि सर्वे क्रमांक 838 पर मेड़ बनी हुई है। वादी बड़े समाज का व्यक्ति है, वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 की भूमि सर्वे क्रमांक 838 के उत्तर की ओर 0.18 हे० अंश भाग पर दिनांक 12.07.2017 को जबरन कब्जा कर अपनी भूमि में मिला लिया है और तभी से वह जबरन कब्जा किये हुये है। दिनांक 18.07.2017 को प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपना खेत जुतवाया और जैसे ही प्रतिवादी क्रमांक 1 वादी द्वारा जबरन कब्जा की गई उक्त 0.18 हे० भूमि जुतवाने लगा तो वादी व उसके परिवार के लोग लाठी-फरसा लेकर झगड़ा करने लगे। गांव के लोगों के समझाने पर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपनी भूमि सर्वे क्रमांक 838 का सीमांकन कराया, प्रकरण क्रमांक 67/16-17/अ-12 में दिनांक 28.07.2017 को उभयपक्ष की उपस्थिति में मौके पर सीमांकन कर मिट्टी के ढेले रखे गये और वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 की जमीन पर किये गये कब्जे को प्रत्यावर्तित कराया गया। मौके पर की गई सीमांकन कार्यवाही में प्रतिवादी क्रमांक 1 की भूमि सर्वे क्रमांक 838 के उत्तरी भाग पर पश्चिम की ओर लम्बाई में 14 जरीब, दक्षिण में 1 जरीब 25 कड़ी और मध्य में 25 कड़ी भाग को वादी के सर्वे क्रमांक 837 में जुता पाया गया और सीमांकन प्रकरण में कब्जा प्राप्त करने के बाद जब प्रतिवादी क्रमांक 1 अपना खेत जोतने गया तो वादी ने खेत जोतने नहीं दिया और जबरन सीमा-चिन्ह नष्ट कर पुनः अपने खेत सर्वे क्रमांक 837 में मिला लिया। बाद में वादी ने भी सीमांकन आवेदन प्रस्तुत किया, वादी द्वारा कराये गये सीमांकन में भी प्रतिवादी क्रमांक 1 की भूमि सर्वे क्रमांक 838 का अंश भाग 0.18 हे० वादी की भूमि सर्वे क्रमांक 837 में मिला पाया गया और दुबारा

सीमा-चिन्ह निश्चित किये गये। वादी ने स्वयं के द्वारा कराये गये सीमांकन को भी नहीं माना, सीमा-चिन्ह नष्ट कर प्रतिवादी क्रमांक 1 की भूमि के 0.18 हे० अंश भाग पर अपना कब्जा बनाये रखा और दिनांक 30.12.2017 को समाज के लोगों के समक्ष खुले तौर पर धमकी दी कि वह अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा। उक्त तथ्यों के आधार पर स्वत्व घोषणा और कब्जा वापसी हेतु वाद संस्थित किया गया है। प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला और वादी को जबरन कब्जा करने से नहीं रोका गया तो प्रतिवादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार कर वादी को निषेधित किया जाये कि वह सर्वे क्रमांक 838 के किसी भी भाग पर कब्जे में हस्तक्षेप न करे और न ही करावे।

6. वादी का जवाब संक्षेप में यह है कि सर्वे क्रमांक 837 व 838 के बीच पूर्वजों के समय से ही मेड़ बनी है, मौके पर नाम में भी मेड़ को ही सीमा बताई गई है और प्रतिवादीगण जबरन वादी को अपना खेत जोतने से रोकते हैं। वादी द्वारा मेड़ के दूसरी ओर कभी फसल नहीं बोई गई है और झंटे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर आवेदन या प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के पक्ष में कोई मामला नहीं है और अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाये।

7. आवेदन के निराकरण हेतु निम्न बिंदु विचारणीय हैं :-

1. प्रथम दृष्ट्या मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूर्णनीय क्षति

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-

8. उभयपक्ष के अभिवचनों में इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि भूमि सर्वे क्रमांक 837 पर वादी का स्वत्व है, भूमि सर्वे क्रमांक 838 पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का स्वत्व है और उक्त दोनों सर्वे नम्बरों के बीच में पूर्वजों के समय से ही मेड़ बनी है। इस मामले में मुख्य विवाद सीमा व अतिक्रमण के निर्धारण का है, वादी का अभिवचन कि उसकी भूमि सर्वे क्रमांक 837 पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा हेतु प्रयासरत हैं जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 के अभिवचन के अनुसार मौके पर सीमांकन में उसकी भूमि सर्वे क्रमांक 838 का अंश भाग 0.18 हे० वादी की भूमि सर्वे क्रमांक 837 में मिला हुआ पाया गया है और सीमांकन के समय कब्जा प्रत्यावर्तित कराने के बावजूद वादी ने बाद में उक्त अंश भाग 0.18 हे० पर कब्जा कर लिया है।

9. प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रकट है कि स्वयं उसके द्वारा कराये गये सीमांकन एवं कथित रूप से वादी के द्वारा कराये गये

सीमांकन में प्रतिवादी क्रमांक 1 की भूमि सर्वे क्रमांक 838 के अंश भाग 0.18 हे० पर वादी द्वारा कब्जा करने या मौके पर प्रतिवादी क्रमांक 1 को कब्जा प्रत्यावर्तित कराने का कोई उल्लेख नहीं है। अतिक्रमण के विनिर्दिष्ट भाग के सुसंगत तथ्य का निर्धारण साक्ष्य के उपरान्त गुण-दोष पर ही किया जा सकता है और इस प्रक्रम पर किसी के भी पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं है।

10. स्वयं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के प्रतिदावा के अनुसार उनके स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 838 के अंश भाग 0.18 हे० पर वादी का कब्जा है और प्रतिदावा में कब्जा वापसी का अनुतोष भी चाहा गया है। भूमि सर्वे क्रमांक 838 पर वादी द्वारा अतिक्रमण या अवैध कब्जा की दशा में मध्यवर्ती लाभ का दावा किया जा सकता है, धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य अनुतोष है और किसी भी पक्ष को अपूर्णनीय क्षति नहीं होती है।

11. उभयपक्ष के अभिवचन से स्पष्ट है कि सर्वे क्रमांक 837 व 838 के बीच मौके पर पूर्वजों के समय से ही मेड़ बनी हुई है। प्रतिवादीगण के अनुसार सीमांकन में उनकी भूमि सर्वे क्रमांक 838 का अंश भाग 0.18 हे० वादी की भूमि सर्वे क्रमांक 837 में मिला हुआ पाया गया है किन्तु सीमांकन की कार्यवाही में प्रतिवादी क्रमांक 1 को उक्त अंश भाग 0.18 हे० कब्जा सौंपे जाने का कोई उल्लेख सीमांकन प्रतिवेदन में नहीं है और अतिक्रमण के इस मामले में सुविधा का संतुलन भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पक्ष में नहीं है।

12. उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों से स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 की भूमि सर्वे क्रमांक 838 के अंश भाग 0.18 हे० पर अतिक्रमण का निर्धारण साक्ष्य के उपरान्त गुण-दोष पर ही किया जा सकता है, उक्त अंश भाग 0.18 हे० पर प्रतिवादी क्रमांक 1 के कब्जे का प्रत्यावर्तन ही प्रतिदावा में ईप्सित मुख्य अनुतोष भी है और इस प्रक्रम पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु तीनों आवश्यक बिन्दु वादी या प्रतिवादीगण में से किसी के भी पक्ष में नहीं है। अतः वादी का अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन आई०ए० नंबर 1/18 और प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर से प्रतिदावा के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन आई०ए० नंबर 2/18 खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)	(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड	द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड
(म०प्र०)	(म०प्र०)